म.प्र. विद्युत नियामक आयोग,

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी, बिट्ठन मार्केट, भोपाल – 462 016
फोन नं. 0755.2430154, 2464643, फैक्स न. 2981055

क्रमांकः /विनिआ/आर ई/2020/1495 भोपाल, दिनांकः 17.12.2020

आयोग द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर 2020 को जारी खुदरा विद्युत दर आदेश से संबंधित प्रमुख बिन्दु

1. विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा रूपये 40,016 करोड़ की कुल राजस्व आवश्यकता एवं मौजूदा दरों पर रू. 2169 का राजस्व अंतर दर्शाया गया एवं इस राजस्व अंतर की पूर्ति हेतु वर्तमान टैरिफ में 5.73 प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित की थी।
2. आयोग द्वारा रूपये 37673 करोड़ की कुल राजस्व आवश्यकता तथा रूपयें 730 करोड़ के राजस्व अंतर को मान्य किया गया है। आयोग द्वारा उक्त राजस्व अंतर की पूर्ति हेतु वर्तमान टैरिफ मे 1.98 प्रतिशत की वृद्धि को मान्य किया गया है।
3. निम्नलिखित श्रेणी मे टैरिफ वृद्धि नहीं की गई :–
   (अ) 30 यूनिट तक खपत वाले 100 वॉट विद्युत भार तक के घरेलू उपभोक्ता
   (ब) निम्न दाब उद्योग
   (स) विवाह समारोह एवं अन्य सामाजिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के लिये अस्थाई संयोजन
   (द) ई वाहन /ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन
   (इ) रेल्वे ट्रेक्शन
4. वर्तमान टैरिफ आदेश में मीटरिंग शुल्क को मान्य नहीं किया गया है। अतः उपभोक्ताओं द्वारा मीटर किराया देय नही होगा।
5. स्वयं के गृह निर्माण हेतु अस्थाई संयोजन बाबत् विद्युत दर (टैरिफ) को कम करते हुए इसकी वर्तमान 1 वर्ष की अधिकतम अवधि को बढ़ाकर 3 वर्ष किया गया है।
6. एच.वी. 5 श्रेणी का युक्तियुक्तकरण करते हुए, एच.वी 5.1 (सार्वजनिक जल प्रदाय कार्य, समूह सिंचाई तथा उद्वहन सिंचाई) एवं एचवी 5.2 (कृषि संबंधी अन्य उपयोग) श्रेणियों का संविलियन किया गया है।
7. कृषि उपभोक्ता – राज्य शासन द्वारा देय सब्सिडी के दृष्टिगत, 10 हार्सपावर विद्युत भार तक के कृषि उपभोक्ताओं द्वारा रूपये 750 प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष तथा 10 हार्स पावर से अधिक विद्युत भार के कृषि उपभोक्ताओं द्वारा रूपये 1500 प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष की दर से विद्युत बिल देय होगा।

आयोग द्वारा वर्तमान मे लागू छूट/प्रोत्साहन को यथावत जारी रखा जाना :–

1. प्रीपेड मीटरिंग, अग्रिम बिल भुगतान, त्वरित बिल भुगतान एवं ऑनलाइन भुगतान के लिए दी जा रही छूट/प्रोत्साहन बिना किसी परिवर्तन के जारी रहेगी।
2. लोड फेक्टर तथा पावर फेक्टर के लिये दी जा रही छूट/प्रोत्साहन बिना किसी परिवर्तन के जारी रहेगी।
3. नवीन एवं विद्यमान अति उच्च दाब एवं उच्च दाब उपभोक्ता, केप्टिव पावर पलांट, ओपन एक्सेस उपभोक्ता तथा रेल्वे ट्रेक्शन उपभोक्ताओं हेतु लागू छूट/प्रोत्साहन बिना किसी परिवर्तन के जारी रहेगी।

सचिव